भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण

ग्राम स्तरीय सूक्ष्म कार्ययोजना
ग्राम – घाट जामनी
विकासखंड – राजमहल
जनपद – साहिबगंज, झारखंड

सूक्ष्म नियोजन	
ग्राम पंचायत	घाट जामनी
विकासखंड	राजमहल
जनपद	साहिबगंज
राज्य	झारखंड
कुल बजट	**26,70,000.00**
क्रियान्वयन अवधि	5 वर्ष (2020–2024)

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

2019

विषय – वस्तु	
परिचय	1
भाग – 1 प्रस्तावना	3
भाग – 2 ग्राम पंचायत का विवरण	5
2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण	5
2.2 ग्राम पंचायत चयन के मानक	5
2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया	5
2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण	5
2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय	6
2.6 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति	6
2.7 कृषि एवं पशुपालन	6
2.8 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण	7
2.9 ग्राम पंचायत तक पहुँच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता एवं स्थिति	7
2.10 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैवविविधता का विवरण	7
2.11 समुदाय की गंगा नदी पर निर्भरता	7
2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे/पूर्व में संचालित जैवविविधता कार्यक्रम की जानकारी	8
2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण	8
भाग – 3 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (Stakeholders)	9
भाग – 4 समस्या विश्लेषण	11
भाग – 5 नियोजन का उद्देश्य	13
भाग – 6 प्रस्तावित गतिविधियां तथा रणनीति	15
6.1.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियां	15
6.1.2 समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण	15
6.1.3 आजीविका एवं कौशल विकास गतिविधियां	16
6.1.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियां	16

6.1.5 वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत	17
6.1.6 जैव विविधता संबंधी गतिविधियां	17
6.1.7 कृषि विकास संबंधी गतिविधियां	18
6.1.8 पशुपालन विकास संबंधी गतिविधियां	18
6.1.9 मत्स्य पालन संबंधी गतिविधियां	19
6.2 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन	19
भाग – 7 व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण	20
7.1 सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण	20
7.2 वित्तीय आवश्यकता एवं बजट	23
7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	26
7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व	26
7.5 विवाद का निपटारा	26
7.6 अभिलेखों का रखरखाव	27
7.7 सफलता के सूचक	27
अनुलग्नक	
1 समझौता ज्ञापन	28
2 सामाजिक मानचित्र	29
3 सूक्ष्म नियोजन हेतु बैठक में उपस्थित समुदाय की सूची	30
4 फोटो गैलरी	32

मानचित्र

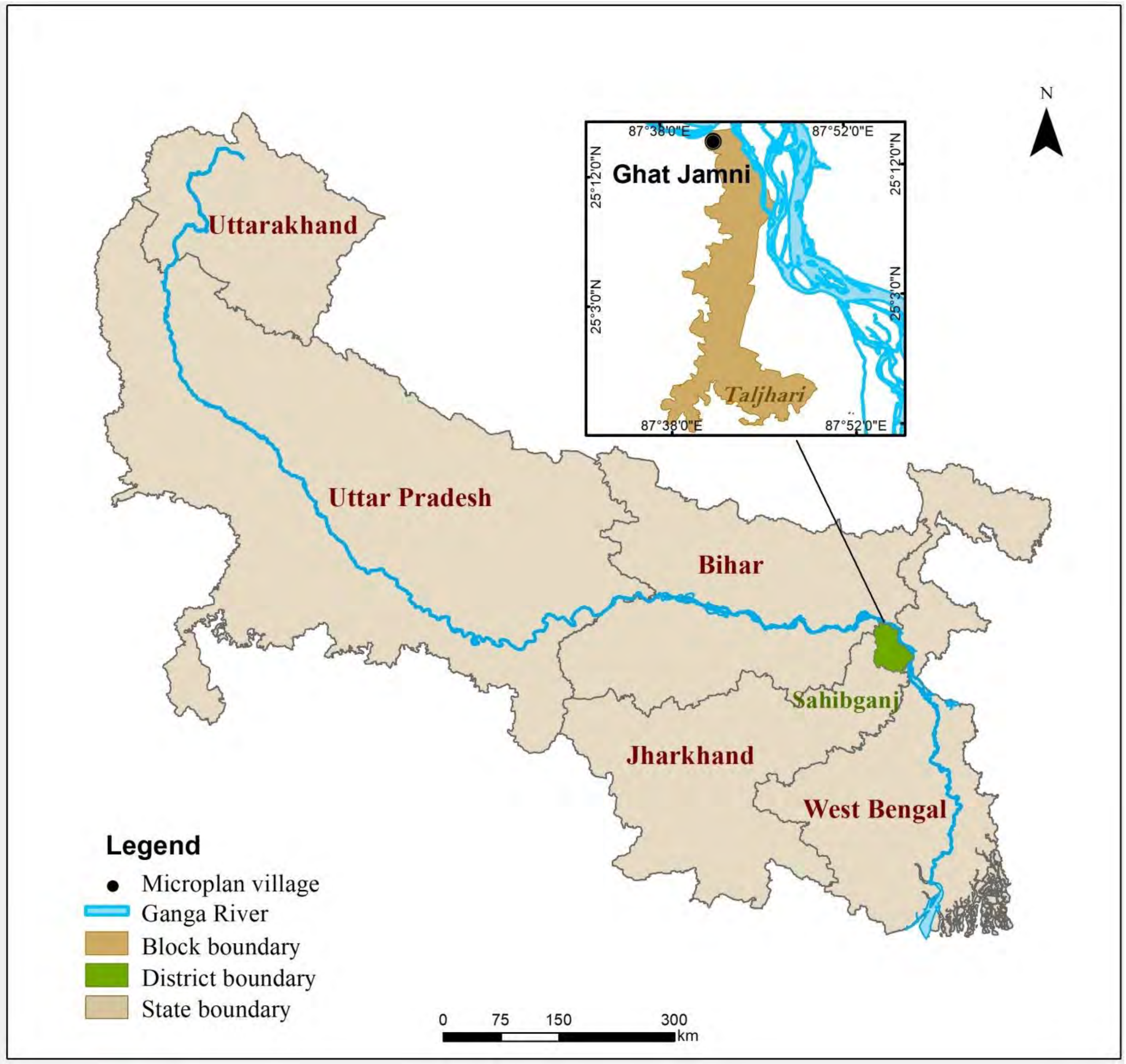

N
87°38'0"E
87°52'0"E
25°12'0"N
25°3'0"N
Ghat Jamni
Taljhari
Uttarakhand
Uttar Pradesh
Bihar
Sahibganj
Jharkhand
West Bengal
Legend
Microplan village
Ganga River
Block boundary
District boundary
State boundary
0 75 150 300
km

परिचय

भारत सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त और संरक्षित करने के लिये नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण परियोजना का आरंभ किया है। परियोजना के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर नदी की सफाई के तहत तरल कचरे की समस्या को हल करने हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में जल व मल के निस्तारण हेतु शौचालयों का निर्माण, शवदाह गृहों का उच्चीकरण, आधुनिकीकरण एवं निर्माण, घाटों का निर्माण और मरम्मत आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जैवविविधता संरक्षण, वनीकरण व पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिये भी कार्य किया जा रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन किया गया है।

भारत सरकार द्वारा गंगा नदी की स्वच्छता एवं संरक्षण हेतु चलाये जा रहे नमामि गंगे कार्यक्रम के अर्न्तगत जलीय जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारतीय वन्य जीव संस्थान के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गंगा नदी की विभिन्न प्रजातियां जो वर्तमान में संकटग्रस्त हैं या निकट भविष्य में जिनके लुप्त होने की संभावना है, वर्ष 2020 तक इन प्रजातियों की विविधता के लिये उत्पन्न होने वाले खतरे में कमी आये। वन्य जीव संस्थान द्वारा जैव विविधता संरक्षण हेतु 6 घटकों पर कार्य किया जा रहा है। जिसमें गंगा जलीय जीव संरक्षण एवं अनुश्रवण केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी के जलीय जीवों के पुनरूद्वार हेतु योजना का निर्माण, वन विभाग एवं अन्य हितधारकों का क्षमता विकास, जलीय प्रजातियों हेतु बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी की प्रजातियों के पुनर्वास हेतु समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम एवं गंगा नदी की जैवविविधता के संरक्षण हेतु नेचर इंटरप्रेटेशन और शिक्षा आदि कार्यक्रम प्रमुख हैं।

सूक्ष्म नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय समुदाय अपनी आवश्यकता के अनुसार विकास की योजना का निर्माण करता है। सूक्ष्म नियोजन में समुदाय के सभी वर्गों की भागीदारी होना इसकी प्रमुख विशेषता है। नियोजन की प्रक्रिया को विकेन्द्रित (Decentralised) सतत (Sustainable) एवं सहभागी (Participatory) बनाने का यह एक महत्वपूर्ण भाग है। जिसमें नियोजन की प्रक्रिया ऊपर से नीचे (Top to bottom) न होकर नीचे से ऊपर (Bottom to top) की ओर होती है। इस प्रक्रिया में समुदाय के ज्ञान व अनुभवों को आधार मानकर कई सहभागी आकलन की गतिविधियों के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाती है।

ग्राम पंचायत घाटजमनी

तालामय हाँसदा
मुखिया
पंचायत घाट जमनी

आवास :–
पंचायत घाट जमनी,
प्रखंड – राजमहल,
थाना– राजमहल,
मो० – 8084155024

पत्रांक ...18/—

दिनांक 13/09/2019

जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत घाटजमनी पंचायत, जिला- साहेबगंज में विभिन्न बैठकों, कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षणों के साथ-साथ अन्य गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं। समुदाय के साथ लगातार चर्चा के बाद गंगा की जैव-विविधता संरक्षण हेतु यह ग्राम स्तरीय सूक्ष्म योजना तैयार की गयी है। इस योजना पर सामुदायिक बैठक में चर्चा करने के उपरांत समुदाय द्वारा इस पर सहमति दी गयी। ग्राम पंचायत में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत एवं ग्राम समुदाय भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ भागीदारी हेतु तैयार हैं।

मुखिया घाटजमनी

तालामय हाँसदा
मुखिया
ग्राम पंचायत-घाटजमनी
प्रखण्ड-राजमहल साहेबगंज

भाग – 1 प्रस्तावना

ग्राम पंचायत	घाट जामनी
अवस्थिति	25.23829498 अंक्षाश एवं 87.71058569 देशान्तर
विकासखंड	राजमहल
जिला	सहिबगंज
राज्य	झारखंड
जिला मुख्यालय से दूरी	29 कि0मी0
तहसील मुख्यालय से दूरी	15 कि0मी0
गंगा नदी से दूरी	0.5 कि0मी0
कुल जनसंख्या	14400
कुल परिवार	3600
मुख्य जातियां	ब्राहमण, राजपूत, अनुसूचित जाति

मुख्य समस्याएं	• जागरूकता की कमी, • कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग • धार्मिक व पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित करना • कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न होना • आजीविका हेतु गंगा नदी पर निर्भरता • स्थानीय संस्थाओं का सुदृढ़ न होना
प्रस्तावित गतिविधियां	• समुदायिक जागरूकता गतिविधियां • समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण • आजीविका व कौशल विकास गतिविधियां • स्वच्छता संबंधी गतिविधियां • वैकल्पिक उर्जा स्रोत • जैवविविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियां • कृषि विकास संबंधी गतिविधियां • पशुपालन संबंधी गतिविधियां • मत्स्य पालन संबंधी गतिविधियां

भाग – 2 ग्राम पंचायत का विवरण

2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण

ग्राम पंचायत घाट जामनी झारखंड राज्य के जनपद साहिबगंज में विकासखंड राजमहल में स्थित है। यह जिला मुख्यालय साहिबगंज से दक्षिण की ओर 29 कि0मी0 दूर स्थित है। राज्य की राजधानी रांची से इसकी दूरी 365 कि0मी0 है। यह स्थान जनपद साहिबगंज एवं मालदाह की सीमा पर बसा है। यह पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा के पास है। गांव सड़क मार्ग से मुख्यालय से जुड़ा हुआ है। यहाँ का पिन कोड 816129 है। यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी है। गाँव कुल 5 कि0मी0 क्षेत्रफल में बसा है तथा यहाँ की जलवायु गर्म है। गंगा नदी से गांव की दूरी 1.5 कि0मी0 है। यहाँ पर पोस्ट आफिस, सस्ते गल्ले की दुकान, रेडियो, टेलिफोन, मोबाइल नेटवर्क सुविधा आदि उपलब्ध है।

2.2 ग्राम पंचायत चयन के मानक

ग्राम पंचायत घाट जामनी गंगा नदी के तट पर है। समुदाय की गंगा पर निर्भरता है। गंगा मे पायी जाने वाली जैवविविधता में गांगेय डॉल्फिन, कछुये, विभिन्न प्रजाति की मछलियां, ऊदबिलाव, मेंढ़क आदि मुख्य हैं। समुदाय की कृषि, मछली, दैनिक कार्यों हेतु गंगा पर अत्यधिक निर्भरता होने के कारण गंगा की जैव विविधता पर प्रभाव पड़ रहा है। गंगा के तट पर स्थित होने के कारण एवं जलीय जैव विविधता की उपस्थिति के कारण ग्राम पंचायत को कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित गांवों की सूची जिला प्रशासन व खंड विकास अधिकारी से लेने के पश्चात ग्राम पंचायतों में बैठकों का आयोजन किया गया। जिले में गंगा के किनारे बसे व स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत चयनित गांवों में से गंगा के नजदीक व अधिक जन दबाव वाले गाँवों का चयन कार्यक्रम हेतु किया गया। उपरोक्त ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क किया गया एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ बैठकें कर ग्राम पंचायत की स्थिति को जाना गया व ग्रामवासियों को परियोजना की जानकारी दी गयी व उद्देश्यों को बताया गया। ग्राम चयन के दौरान ग्राम पंचायत व ग्रामवासियों की कार्यक्रम के प्रति तत्परता (willingness) को भी देखा गया।

2.4 सामाजिक जनसंख्यात्मक विवरण

ग्राम पंचायत घाट जामनी की कुल जनसंख्या 14400 है। यहाँ पर 3600 परिवार निवास करते हैं। कुल जनसंख्या में 8000 पुरूष एवं 6400 महिलायें हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से चाई मंडल, कुम्हार, तेलो, कुर्मी, मल्लाह, यादव, रविदास एवं पासवान जाति के लोग निवास करते हैं। जिनमें से 80 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं 5 प्रतिशत सामान्य जाति के हैं।

2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय

घाट जामनी में रहने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति निम्न मध्यवर्गीय है। यहां पर लगभग 3000 परिवार कृषि एवं पशुपालन पर आश्रित हैं, 20 परिवार धार्मिक कार्य कर जीविका चलाते हैं। ग्राम पंचायत में नौकरीपेशा परिवारों की संख्या 115 है, 5 परिवार नौकायन का कार्य करते हैं, 20 परिवार स्वरोजगार पर आश्रित हैं तथा 50 परिवार कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। ग्राम पंचायत में 200 परिवारों द्वारा नदी किनारे कृषि (Riverbed Farming) की जाती है। 3000 परिवारों के पास कृषि भूमि है परंतु 600 परिवार भूमिहीन हैं।

2.6 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति

ग्राम पंचायत घाट जामनी में स्वच्छ पेयजल हेतु 1800 व्यक्तिगत हैंडपंप एवं 100 सरकारी हैंडपंप हैं। ग्राम पंचायत में सरकार द्वारा 30 हैंडपंप लगाये गये थे जो खराब हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 15 सरकारी तथा 5 व्यक्तिगत कुएँ हैं। यहाँ पर सभी परिवारों को पेयजल की उपलब्धता है।

गांव में कुल 3000 परिवारों द्वारा शौचालय बनाये गये थे जिनमें से केवल 1000 शौचालयों का ही उपयोग हो रहा है। 2000 परिवारों के शौचालय सीट इत्यादि टूट जाने के कारण उपयोग करने की स्थिति में नहीं हैं। 600 परिवारों के द्वारा शौचालय नहीं बनाये गये हैं। ग्राम पंचायत के 2600 परिवार शौच हेतु खेतों में तथा गंगा नदी के किनारे जाते हैं। शौचालयों के निर्माण न होने का कारण लोगों में खुले में शौच से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों के संबंध में जागरूकता की कमी है।

ग्राम पंचायत में ठोस कूड़ा (Solid waste) एकत्रीकरण हेतु कोई व्यवस्था नहीं है। समुदाय द्वारा जलाकर या इधर उधर फेंककर कूड़े का निस्तारण किया जाता है।

2.7 कृषि एवं पशुपालन

ग्राम पंचायत में आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि एवं पशुपालन है। ग्राम पंचायत में कुल 490 हेक्टेयर कृषि भूमि पर खेती की जाती है। कुल 3000 परिवार कृषि भूमि व 200 परिवार पालिज की खेती पर निर्भर हैं। गाँव में मुख्य रूप से गेंहू, धान, मक्का, दालें, सब्जियां आदि फसलें उगाई जाती हैं। गंगा तट की 65 हेक्टेयर कछार भूमि पर गेंहूँ, धान, मक्का, दालें एवं मौसमी सब्जियाँ उगाई जाती हैं। कृषि में जैविक व रासायनिक दोनों प्रकार की खादों का प्रयोग किया जाता है। जिनमें डी0ए0पी एवं यूरिया प्रमुख हैं। फसलों को कीटों से बचाने के लिये कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। ग्राम पंचायत में लगभग 3000 परिवार पशुपालन करते हैं।

यहाँ पर कुल पशुओं की संख्या 5000 है। चारे हेतु सूखे व हरे चारे का प्रयोग किया जाता है। पशुओं के लिये चारा स्वयं के खेतों से लाया जाता है।

2.8 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण

गंगा के किनारे स्थित होने के कारण ग्राम पंचायत में जल संसाधन का मुख्य स्रोत गंगा का पानी है। ग्राम में सिंचाई हेतु ट्यूबवैल उपलब्ध है। ग्राम पंचायत के पास तालबन्ना, चकली तथा बड़की अतला आदि झीलें हैं। क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत 1248 मिमी0 है। ग्राम घाट जामनी व आस पास के सभी गाँवों का वर्षा का जल वर्षा काल में सीधे गंगा नदी में प्रवाहित होता है।

2.9 ग्राम पंचायत तक पहुँच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता एवं स्थिति

घाट जामनी ग्राम पंचायत राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर स्थित है। वर्तमान में सड़क मार्ग द्वारा ग्राम पंचायत तक यातायात व आवागमन के साधन उपलब्ध हैं। इसके अलावा ग्राम संचार के साधनों में रेडियो, टेलिफोन, मोबाइल के अतिरिक्त आंगनबाड़ी, प्राथमिक विद्यालय, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, पोस्ट आफिस आदि सुविधाओं की उपलब्धता है।

2.10 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैवविविधता का विवरण

गाँव के आसपास आम, सहजन, बबूल, नीम, शीशम, वनतुलसी, पीपल, आदि वन सम्पदा पायी जाती है। समुदाय द्वारा वन विभाग के साथ मिलकर वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। गंगा नदी के किनारे धुबरी, झोबरा, एक्टीमिशिया तथा पीभरा आदि घास पाई जाती हैं। यहां पर गंगा नदी की जैव विवधिता भी प्रचुर मात्रा में है जिनमें गांगेय डॉल्फिन, कछुये, विभिन्न प्रजाति की मछलियां, ऊदबिलाव, मेंढक आदि पाये जाते हैं।

2.11 समुदाय की गंगा नदी पर निर्भरता

गंगा नदी के तट पर स्थित होने के कारण समुदाय की गंगा नदी पर अत्यधिक निर्भरता है। समुदाय प्रत्यक्ष रूप से धार्मिक गतिविधियों, नौकायन, कृषि, पालीज खेती हेतु गंगा पर निर्भर है। ग्राम पंचायत में बहुसंख्य परिवार आजीविका हेतु कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर हैं।

कृषि के लिये जल हेतु समुदाय की गंगा पर निर्भरता है। घाट जामनी में कुल कृषि भूमि 490 हेक्टेयर है जिसमें 3000 परिवार कृषि करते हैं। गंगा नदी के तट पर स्थित 65 हेक्टेयर कछार भूमि पर ग्राम पंचायत के 200 परिवारों के द्वारा पालिज खेती की जाती है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से धान, गेंहूँ, मक्का, दालें एवं सब्जियाँ आदि बोई जाती हैं। गाँव में 3000 परिवारों के पास पशु हैं। गंगा किनारे कृषि कार्यों, नाव चलाने, फसलों की सिंचाई के अतिरिक्त घरेलू कार्यों हेतु पानी के लिये गंगा पर लोगों की निर्भरता है। पंचायत में 1000 परिवारों की ईंधन हेतु निर्भरता लकड़ी व उपलों पर है। जिसके लिये गंगा तट की वनस्पति का उपयोग किया जाता है।

2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे/पूर्व में संचालित जैवविविधता कार्यक्रम की जानकारी

ग्राम पंचायत घाट जामनी के आसपास जलीय जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं परंतु यहाँ पर पूर्व में कोई भी जैवविविधता संरक्षण संबंधी कार्यक्रम नहीं चलाया गया है।

2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/ कार्यक्रमों का विवरण

क्रम सं0	कार्यक्रम का नाम	गठित संस्था का नाम	कार्यक्रम का विवरण	लाभार्थियों की संख्या	टिप्पणी
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिषन	स्वयं सहायता समूह	प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार	96	8 समूह सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। 4 समूह निष्क्रिय हैं।
2.	समेकित बाल विकास योजना	आंगनबाड़ी	1 आंगनबाड़ी केन्द्र	..	
3	कृषि आर्शीवाद योजना	कृषि मित्र	....	....	निष्क्रिय

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत में मछुआरों हेतु आवास एवं भोजन योजना, स्वच्छ भारत मिषन आदि कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

भाग – 3 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (Stakeholders)

जैवविविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हितधारकों की पहचान करने हेतु समुदाय के विभिन्न वर्गों के साथ बैठकें की गई। ग्रामीण समुदाय से कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की गई व गंगा की स्वच्छता एवं जैवविविधता के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। चर्चा के दौरान कार्यक्रम से प्रभावित होने वाले निम्न वर्गों को हितधारक के रूप में चिन्हित किया गया –

1– मल्लाह समुदाय

2– धार्मिक समूह

3– स्थानीय व्यवसायी

4– विद्यार्थी समुदाय

5– कृषक

6– महिलायें एवं युवतियाँ

7– समुदाय आधारित संस्थायें – स्वंय सहायता समूह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता।

8– विभिन्न विभाग एवं कार्यक्रम के अधिकारी एवं कर्मचारी जैसे – स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, खंड विकास अधिकारी, वन विभाग आदि।

9– केन्द्रीय मंत्रालय – जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अन्य मंत्रालय आदि।

गंगा नदी की जैवविविधता संरक्षण एवं इसकी स्वच्छता के संबंध में विभिन्न हितधारकों (संगठनों, संस्थाओं एवं सामाजिक संगठनों) के प्रभाव शक्ति और रूचि को पहचानने, सूचीबद्ध करने और उसका विश्लेषण करने के लिये हितधारक मानचित्रण किया गया है। गंगा नदी के संरक्षण एवं स्वच्छता में हितधारकों के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों, अंतर्सम्बंधों, गठबंधनों और संघर्षों को पहचानने के लिये यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। हितधारक मानचित्र गंगा की जैवविविधता के संरक्षण में विभिन्न हितधारकों की शक्ति, रूचि एवं प्रभाव को दर्शा रहा है। गंगा नदी पर हितधारकों के प्रभाव एवं उनकी भूमिका के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक हितधारकों को विभिन्न रंगों से दर्शाया गया है। ये मानचित्र विभिन्न हितधारकों के बीच अंतर्निर्भरता को समझने एवं गंगा नदी के संरक्षण की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये संभावित गठबंधन बनाने में सहायक होगा।

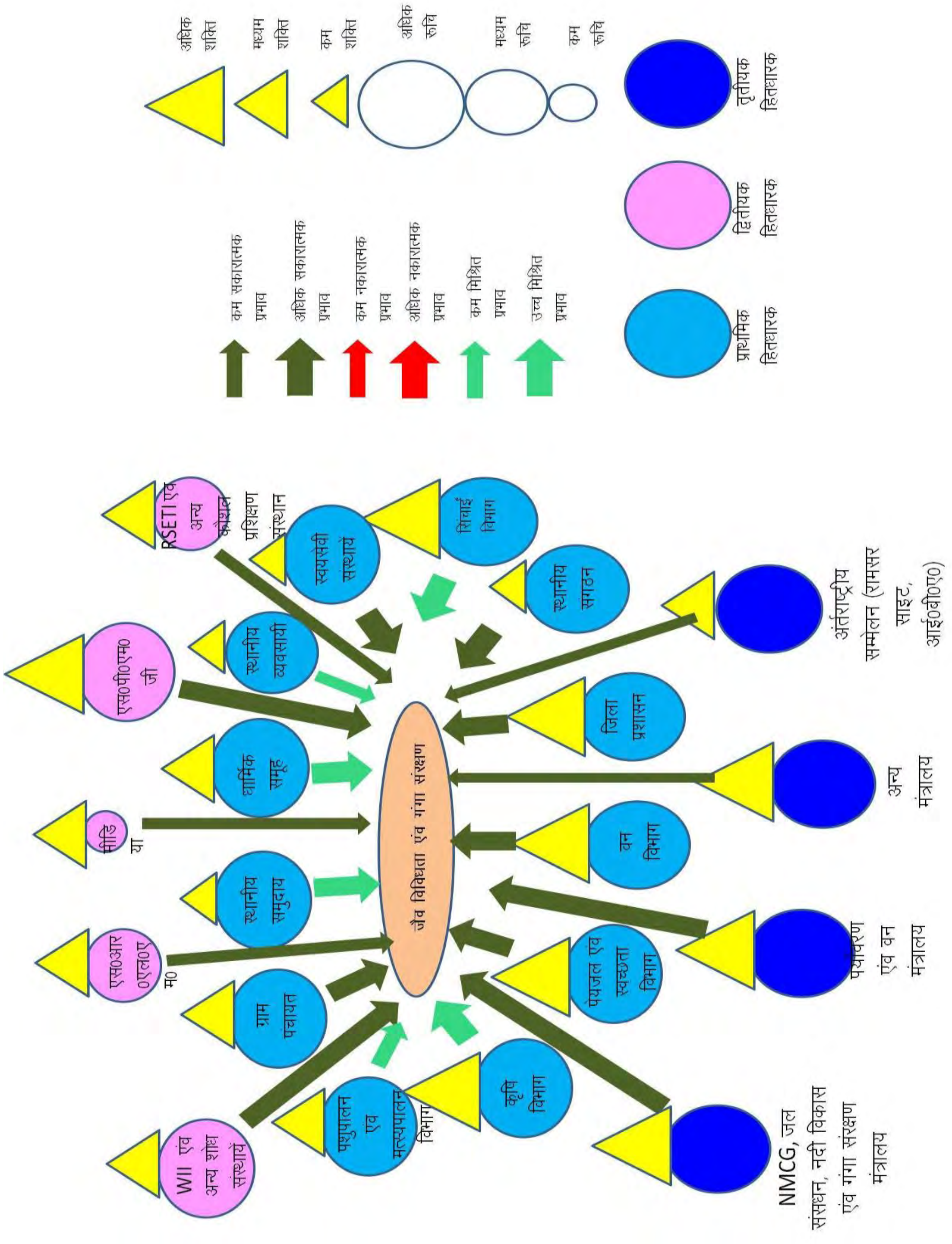

चित्र – 1 हितधारक मानचित्रण

भाग – 4 समस्या विश्लेषण

ग्राम पंचायत घाट जामनी के निवासियों की आजीविका हेतु निर्भरता कृषि कार्यों एवं पशुपालन पर है। यहां पर में 490 हेक्टेयर कृषि भूमि के साथ ही गंगा के द्वारा छोड़ी गयी 65 हेक्टेयर कछार भूमि पर कृषि की जाती है जो लगभग 3000 परिवारों के लिये आजीविका का स्रोत है। आजीविका का प्रमुख स्रोत होने के कारण समुदाय कृषि उत्पादकता पर निर्भर है जिसके लिये खेतों में रासायनिक खादों व कीटनाशक दवाईयों का प्रयोग किया जाता है। वर्षा होने पर खेती में प्रयुक्त ये रसायन बहकर गंगा के पानी में मिल जाते हैं एवं उसे प्रदूषित करने के साथ ही जैवविविधता को हानि पहुंचाते हैं। खेतों की सिंचाई हेतु भी लोगों की गंगा पर निर्भरता है। नदी किनारे कृषि होने एवं जानवरों को चराने की वजह से जलीय जीवों के वास स्थान को भी क्षति हो रही है।

घाट जामनी के निवासी अपने दैनिक कार्यों हेतु भी गंगा पर निर्भर हैं। वे पीने के पानी, बर्तन धोने, कपड़े धोने, नहाने हेतु गंगा के जल का उपयोग करते हैं। गंगा पर अपनी धार्मिक श्रद्धा के कारण लोग यहां पर स्नान करने के साथ ही पूजा सामग्री, तस्वीरें, कैलेण्डर, मूर्तियाँ, धूपबत्ती, पॉलीथीन आदि गंगा में प्रवाहित कर देते हैं जिससे गंगा के पारिस्थितिकीय तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। अधिकतर परिवारों के पास शौचालय न होने के कारण इनके द्वारा खेतों में या गंगा तट पर मल मूत्र त्याग किया जाता है जिससे गंगा तट पर गंदगी रहती है। साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा कपड़े, पॉलीथीन व अन्य सामग्री गंगा के किनारे छोड़ दिये जाते हैं जो गंगा में प्रदूषण का कारण है।

ग्राम पंचायत में कूड़ा एकत्रीकरण, प्रबन्धन एवं निस्तारण की कोई व्यवस्था न होने के कारण कूड़ा ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर बिखरा रहता है जो हवा व वर्षा के साथ गंगा के पानी में मिल जाता है। नालियों एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्था न होने के कारण गंदा पानी और वर्षा का जल भी गंगा नदी में जाता है।

आजीविका हेतु अन्य साधनों एवं कौषल की जानकारी व उपलब्धता नहीं होने के कारण समुदाय को नये क्षेत्रों में रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं जिससे गंगा से संबंधित क्षेत्रों पर ही निर्भरता बनी हुई है।

यहां पर जलीय जीवों, विशेषकर मछलियों एवं कछुओं के अवैध शिकार की समस्या है। अवैध शिकार रोकने के लिये प्रशासनिक स्तर से निगरानी की आवष्यकता है।

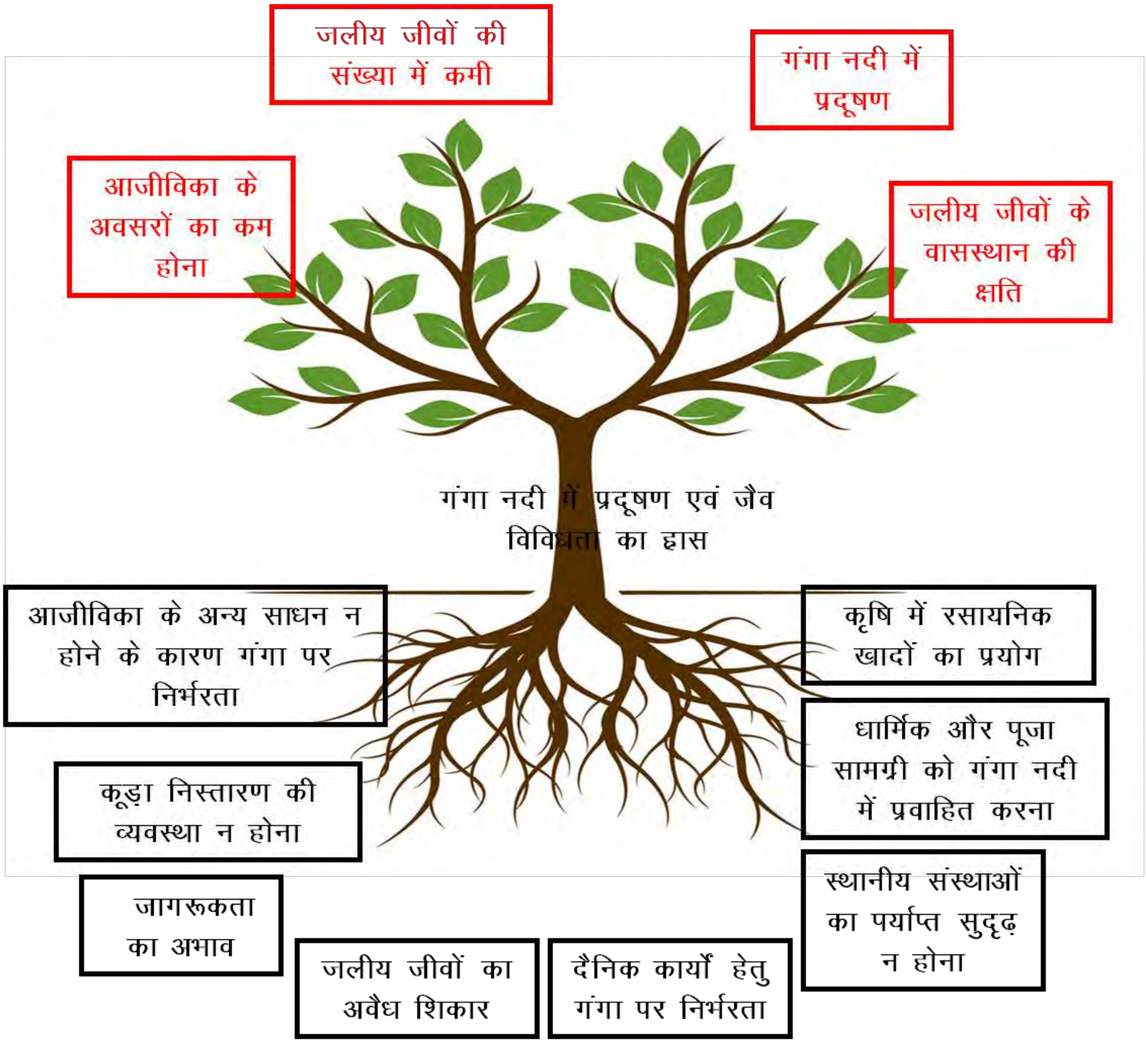

चित्र – 2 समस्या वृक्ष

भाग – 5 नियोजन का उद्देश्य

नियोजन का मुख्य उददेश्य गंगा की जैवविविधता के संरक्षण एवं गंगा की स्वच्छता हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं संरक्षण कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है जिससे संरक्षण कार्यों की सततता बनी रहे।

दीर्घकालीन उद्देश्य

1. गंगा नदी की अविरलता एवं निर्मलता को बनाये रखने के लिये जलीय जीवों का संरक्षण करना।

अल्पकालीन उद्देश्य

1. ग्राम में चल रही विकास की समस्त योजनाओं एवं गतिविधियों में जैवविविधता संरक्षण को शामिल करना।
2. गंगा की जैवविविधता के संरक्षण हेतु समुदाय को जागरूक एवं संवेदशील बनाना ताकि वे जैवविविधता संरक्षण के कार्य में भागीदारी कर सकें।

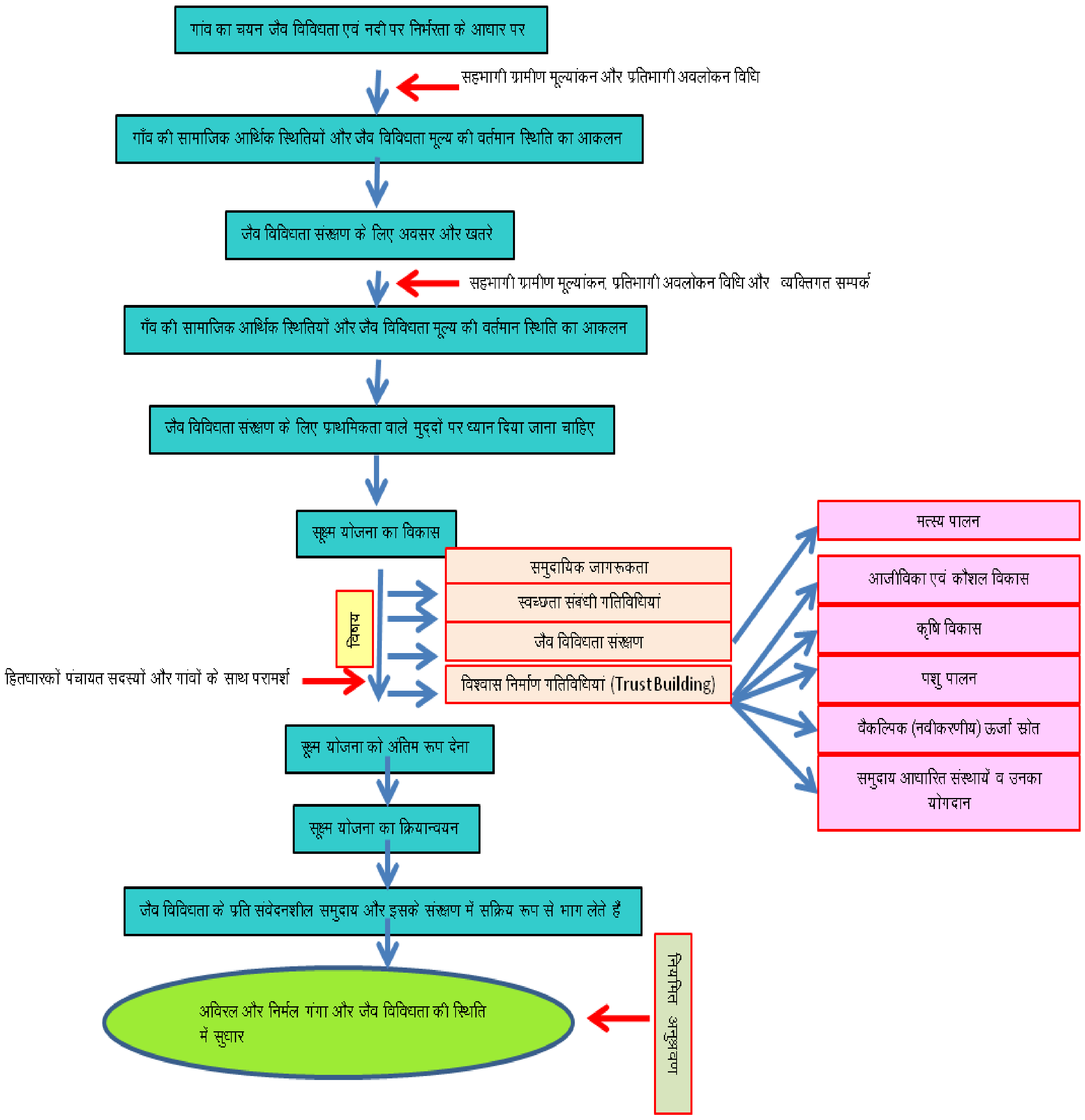

चित्र – 3 नियोजन की प्रक्रिया

6.1.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियां

सामुदायिक सहभागिता से कार्य करने एवं किये गये कार्यों की सततता बनाये रखने हेतु आवश्यक है कि स्थानीय समुदाय किये जा रहे कार्य के महत्व व उसके लाभ के बारे में भलीभांति परिचित हो। समुदाय की गंगा की स्वच्छता एवं जैवविविधता के संरक्षण के संबंध में समझ विकसित करने के बाद ही इस कार्य में उनकी भूमिका को सुनिश्चित किया जा सकता है। जिससे कि वे स्वंय उस कार्य को करने के लिये तैयार हो सकें। समुदाय में बैठकों और चर्चा के बाद गंगा नदी व उसके आसपास की जैवविविधता व उसके महत्व, स्वच्छता संबंधी गतिविधियों, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, जैविक कृषि, पशुपालन संबंधी जागरूकता गतिविधियां करने पर सहमति बनी। जिसके लिये निम्न गतिविधियां की जायेंगी –

1. जैवविविधता संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर समुदाय व विद्यालयों में बच्चों और अध्यापकों के साथ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण।
2. समुदाय एवं विद्यार्थियों के सहयोग से रैली, अभियान, नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन आदि कार्य करना।
3. ग्राम स्तर पर जागरूक एवं सक्रिय व्यक्तियों का समूह तैयार कर उन्हें जैवविविधता संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने हेतु प्रशिक्षित करना।
4. विभिन्न विभागों से संबंधित ग्रामीण विकास, स्वच्छता, वृक्षारोपण, कौशल विकास, उन्नत एवं जैविक कृषि, पशुपालन, वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।
5. गंगा प्रहरी व बाल गंगा प्रहरी कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता संबंधी विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर कार्यक्रम को सुदृढ़ करना।

6.1.2 समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

समुदाय में उपस्थित सक्रिय संस्थायें किसी भी कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सफल बनाने के साथ ही उसकी सततता को भी सुनिश्चित करती हैं। घाट जामनी ग्राम पंचायत में आठ स्वंय सहायता समूह गठित हैं जिनमें से केवल चार समूह सक्रिय हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त सभी समूहों के साथ बैठकें कर समूह के सदस्यों को गंगा व जैवविविधिता संरक्षण के प्रति जागरूक किया जायेगा। निष्क्रिय समूहों को सक्रिय करने का प्रयास किया जायेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जैवविविधता संरक्षण के प्रति जागरूक कर उन्हें अन्य लोगों को भी इस संबंध में जानकारी देने हेतु प्रेरित किया जायेगा। जिसके लिये समुदाय में निम्न गतिविधियां की जानी हैं –

1. समुदाय आधारित संस्थाओं के महत्व पर चर्चा हेतु बैठकों का आयोजन करना।
2. गठित समूहों को गंगा की स्वच्छता एवं संरक्षण हेतु प्रेरित करना।
3. समूह के सदस्यों को, समुदाय के अन्य लोगों को जैवविविधता संबंधी कार्यों में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करने हेतु प्रशिक्षित करना।
4. समूह के उद्देश्यों एवं कार्यों में जैवविविधता संरक्षण को शामिल करना।

6.1.3 आजीविका एवं कौषल विकास गतिविधियां

घाट जामनी में समुदाय की आजीविका हेतु गंगा पर प्रत्यक्ष निर्भरता है। समुदाय नौकायन, धार्मिक एवं व्यवसायिक कार्यों, गंगा किनारे कृषि (पालिज) एवं अन्य कृषि कार्यों हेतु गंगा पर निर्भर है। गंगा के कछार में खेती करने वाले लोगों द्वारा रासायनिक खादों का प्रयोग करने से जलीय जीवों पड़ने वाले खतरों की जानकारी देते हुये उन्हें इसके विकल्पों के सम्बन्ध में जागरूक किया जायेगा, जिससे उनकी आजीविका पर भी प्रभाव न पड़े और जलीय जीवन भी बचा रहे। जैवविविधता संरक्षण हेतु लोगों को सतत आजीविका के संबंध में जागरूक करने के साथ ही उन्हें वैकल्पिक आजीविका कौशल में प्रशिक्षित किया जायेगा। बैठकों के दौरान आजीविका एवं कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रम किये जाने की मांग समुदाय द्वारा की गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित महिला एवं युवकों के समूह बनाकर उन्हें जैवविविधता संरक्षण के प्रति जागरूक किया जायेगा ताकि ये समूह के माध्यम से अपनी आजीविका को सुदृढ़ करने के साथ ही कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग कर सकें। ये समूह जैवविविधता संबंधी गतिविधियों पर जागरूकता हेतु एक मंच का कार्य करेंगें।

आजीविका एवं कौशल विकास हेतु समुदाय में निम्न गतिविधियां की जायेंगी –

1. स्थानीय समुदाय हेतु प्रस्तावित विभिन्न प्रशिक्षणों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु विकास खंड व जिला स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना।
2. बैठकों, कार्यशालाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।
3. विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
4. प्रशिक्षित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं (सब्सिडी/लोन) से जोड़ना।
5. स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों हेतु बाजार विकसित करना।

6.1.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियां

घाट जामनी में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण किया गया है परंतु सभी परिवारों के शौचालय नहीं बने हैं। बहुत से परिवारों के शौचालय प्रयोग की स्थिति में नहीं हैं। घाट एवं गंगा तट पर सार्वजनिक शौचालयों एवं कूड़ा निपटान की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण समस्या बनी हुई है। ग्राम पंचायत में कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा प्रहरियों व जनसमुदाय के सहयोग से स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का संचालन किया जायेगा।

1. बैठकों, अभियान व दीवार लेखन आदि के माध्यम से स्वच्छता, शौचालयों के निर्माण एवं प्रयोग हेतु जागरूक करना।
2. जैविक और अजैविक कूड़े एवं उसके निपटान के बारे में समुदाय को जागरूक करना।
3. जिला स्तर पर विभिन्न विभागों से संपर्क कर शौचालय निर्माण, ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं को स्थापित किया जायेगा।

4. कूड़ेदान का उचित उपयोग हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं समय समय पर विशेषकर त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियान करना।
5. ग्राम पंचायत को पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत कूड़ा निस्तारण की जगह (Dumping ground) चिन्हित करने हेतु तैयार करना।
6. गंगा की स्वच्छता के लिये मासिक बैठक कर ग्राम पंचायतवासियों व गंगा प्रहरियों के सहयोग से गंगा के तट व घाटों की सफाई की जायेगी।

6.1.5 वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत

घाट जामनी ग्राम पंचायत में लगभग 28 प्रतिशत परिवार पारम्परिक ईंधन का प्रयोग करते हैं जिससे गंगा के आसपास की वनस्पति पर ईंधन हेतु निर्भरता बनी हुई है। जिससे जलीय जीवों के आवास पर संकट है। इन परिवारों को वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग हेतु प्रेरित किया जायेगा। इसके लिये जिला स्तर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, उज्जवला योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से इन परिवारों को एल0पी0जी, सौर ऊर्जा संयत्र (सोलर कुकर) एवं बायोगैस निर्माण किये जाने हेतु प्रेरित किया जायेगा। साथ ही उपरोक्त संयत्रों के प्रयोग हेतु समुदाय को प्रशिक्षित किया जायेगा।

1. संबंधित विभाग के साथ मिलकर सौर ऊर्जा व उसके प्रयोग पर जागरूकता हेतु बैठकों का आयोजन।
2. सौर ऊर्जा उपकरणों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षणों का आयोजन।
3. किसानों को बैठकों, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से सिंचाई हेतु सोलर पंप का उपयोग करने हेतु प्रेरित करना।

6.1.6 जैव विविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियां

जैवविविधिता के संबंध में जागरूकता एवं इसके संरक्षण हेतु कार्य करने के लिये जनसमुदाय में से गंगा प्रहरियों का चयन किया गया है। जो नदी तथा ग्राम पंचायत की स्वच्छता के लिये प्रतिबद्ध हैं। उन्हें गंगा घाटों में मेले, स्नान, पर्व के समय लोगों द्वारा घाटों में अनावश्यक गन्दगी फैलाने वाले लोगों की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी जायेगी। ये गंगा प्रहरी घाट जामनी एवं आसपास उपस्थित गंगा के जलीय जीवों के बारे में जनसमुदाय को जागरूक करेंगें साथ ही बीमार, घायल, संकटग्रस्त जलीय जीवों की जानकारी संबंधित कार्यकर्ताओं/वन विभाग को देंगें जिससे कि उनका बचाव व पुनर्वास किया जा सके। जिसके लिये उन्हें बचाव कार्यों में प्रशिक्षित किया जाना है। समुदाय स्तर पर निम्न गतिविधियां की जानी है–

1. गंगा नदी की पारिस्थितिकी, जैवविविधता एवं उस पर संकट के बारे में समुदाय को जागरूक करना।
2. पंचायत स्तर पर जैवविविधता प्रबन्धन समिति/ग्राम स्तरीय समिति के गठन हेतु पहल करना।
3. जैवविविधता प्रबन्धन समिति/ ग्राम स्तरीय समिति के साथ गंगा के जलीय जीवों के संरक्षण के संबंध में चर्चा एवं उसमें उनकी भूमिका सुनिश्चित करना।

4. जैवविविधता प्रबन्धन समिति/ ग्राम स्तरीय समिति के साथ गंगा के जलीय जीवों के संरक्षण के संबंध में चर्चा एवं उसमें उनकी भूमिका सुनिश्चित करना।
5. गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।

6.1.7 कृषि विकास संबंधी गतिविधियां

ग्राम पंचायत घाट जामनी की 72 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। जिसका एक बड़ा भाग गंगा के किनारे स्थित है। कृषि में प्रयुक्त होने वाली रसायनिक खादों एवं कीटनाशकों के कारण गंगा नदी के जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही गंगा किनारे की जाने वाली खेती के कारण जलीय जीवों के आवास पर भी संकट है।

1. रासायनिक खादों के प्रयोग से जन स्वास्थ्य एवं जैव विविधता पर होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूकता।
2. जैविक कृषि एवं उन्नत बीजों के लाभ पर जागरूकता एवं प्रषिक्षण।
3. जैविक कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी हेतु कृषि विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित करना।
4. उन्नत कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
5. किसानों को जैविक खाद बनाने के तरीकों एवं इनके महत्व के बारे में जानकारी दी जायेगी।

6.1.8 पशुपालन संबंधी गतिविधियां

घाट जामनी में पशुपालन को द्वितीयक व्यवसाय के रूप में किया जाता है। लगभग 3000 परिवारों के पास पशु हैं जिनके लिये खेतों आदि से चारे की व्यवस्था की जाती है। पशुओं की उन्नत नस्ल न होने की वजह से इन परिवारों को आय के अन्य स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है।

1. बंजर खेतों एवं मेंढ़ों पर चारा घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. विभागीय सहयोग (पशुपालन विभाग, बाएफ) से अच्छी नस्ल के दुधारू पशु, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे के विषय में जानकारी दी जायेगी।
3. ग्राम पंचायत के नवयुवकों को पशुपालन, डेरी सम्बन्धी व्यवसाय से जीविकोपार्जन करने के लिये प्रेरित किया जायेगा।
4. ग्राम स्तर पर पशुचिकित्सा विभाग के सहयोग से पशुओं की चिकित्सा शिविर आदि लगाये जायेगें, जिसमें पशुओं का टीकाकरण एवं बीमारियों का उपचार किया जायेगा।

6.1.9 मत्स्य पालन संबंधी गतिविधियां

नदी की जैवविविधता को बचाये रखने के लिये आवश्यक है कि इसके संसाधनों का उपयोग सही (sustainable manner) तरीके से किया जाये। इसके लिये मछली पकड़ने के सही तरीके की जानकारी दी जायेगी।

1. सतत आजीविका के लिए उपयुक्त जाल एवं मत्स्य पालन संबंधी योजनाओं की जानकारी देने के लिये बैठक, कार्यशाला आदि का आयोजन।
2. मत्स्य पालन विभाग के साथ समन्वय कर मत्स्य पालन हेतु जानकारी प्रदान करना एवं गांव के प्राकृतिक तालाब, पोखर में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन (Demonstration) तालाब का निर्माण।

6.2 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन

उपरोक्त योजनाओं एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु चिन्हित किये गये विभागों का विवरण निम्नवत है –

क्रम सं0	गतिविधि	विभाग
1.	ग्रामीण विकास, स्वच्छता संबंधी योजनाओं की जानकारी एवं निर्माण करना।	ग्रामीण विकास विभाग, स्वच्छ भारत अभियान
2.	वृक्षारोपण एवं जैवविविधता संरक्षण	वन विभाग
3	कौशल विकास एवं आजीविका संबंधी प्रशिक्षण	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, साहिबगंज, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, WISE, HESCO आदि
4.	उन्नत एवं जैविक कृषि, पशुपालन, बायो गैस, बायो कम्पोस्ट निर्माण	कृषि एवं पशुपालन विभाग, बाएफ
5.	वैकल्पिक ऊर्जा	झारखंड नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, उज्जवला योजना आदि

उपरोक्त विभागों से समन्वय स्थापित कर समुदाय को विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जायेगा।

भाग – 7 व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण

7.1 सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता विश्लेषण

योजना के अंतर्गत प्रस्तावित की गई गतिविधियों का सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना आवश्यक है तभी उसके क्रियान्वयन से समुदाय लाभान्वित हो सकेगा।

क्रम सं0	प्रस्तावित गतिविधि	व्यवहार्यता
1.	जैवविविधता संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर समुदाय व विद्यालयों में बच्चों और अध्यापकों के साथ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
2	ग्राम स्तर पर जागरूक एवं सक्रिय व्यक्तियों का समूह तैयार कर उन्हें जैवविविधता संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने हेतु प्रशिक्षित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
3	समुदाय एवं विद्यार्थियों के सहयोग से रैली, अभियान, नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन आदि कार्य करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य ।
4	विभिन्न विभागों से संबंधित ग्रामीण विकास, स्वच्छता, वृक्षारोपण, कौशल विकास, उन्नत एवं जैविक कृषि, पशुपालन, वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
5	गंगा प्रहरी व बाल गंगा प्रहरी कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता संबंधी विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर कार्यक्रम को सुदृढ़ करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
6	समुदाय आधारित संस्थाओं के महत्व पर चर्चा हेतु बैठकों का आयोजन करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
7	गठित समूहों को सक्रिय कर उन्हें गंगा की स्वच्छता एवं संरक्षण हेतु प्रेरित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
8	समूह के सदस्यों को, समुदाय के अन्य लोगों को जैव विविधता संबंधी कार्यों में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करने हेतु प्रशिक्षित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
9	समूह के उद्देश्यों एवं कार्यों में जैवविविधता संरक्षण को शामिल करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य ।
10	स्थानीय समुदाय हेतु प्रस्तावित विभिन्न प्रशिक्षणों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु विकास खंड व जिला स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।

11	बैठकों, कार्यशालाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
12	विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
13	प्रशिक्षित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं (सब्सिडी/लोन) से जोड़ना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
14	स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों हेतु बाजार विकसित करना।	विभिन्न विभागों, कार्यक्रमों, संस्थानों से समन्वयन एवं सहयोग की आवश्यकता होगी।
15	बैठकों, अभियान व दीवार लेखन आदि के माध्यम से स्वच्छता, शौचालयों के निर्माण एवं प्रयोग हेतु जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य ।
16	जैविक और अजैविक कूड़े एवं उसके निपटान के बारे में समुदाय को जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य ।
17	जिला स्तर पर विभिन्न विभागों से संपर्क कर शौचालय निर्माण, ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं को स्थापित किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
18	कूड़ेदान का उचित उपयोग हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं स्वच्छता अभियान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
19	ग्राम पंचायत को पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत कूड़ा निस्तारण की जगह (Dumping ground) चिन्हित करने हेतु तैयार करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय रूप से व्यवहार्य, तकनीकी व बजट हेतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
20	गंगा की स्वच्छता के लिये मासिक बैठक कर ग्राम पंचायतवासियों व गंगा प्रहरियों के सहयोग से गंगा के तट व घाटों की सफाई की जायेगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
21	संबंधित विभाग के साथ मिलकर सौर उर्जा व उसके प्रयोग पर जागरूकता हेतु बैठकों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।

22	सौर उर्जा उपकरणों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षणों का आयोजन।	विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
23	बैठकों, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से किसानों को सिंचाई हेतु सोलर पंप का उपयोग करने हेतु प्रेरित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
24	गंगा नदी की पारिस्थितिकी, जैवविविधता एवं उस पर संकट के बारे में समुदाय को जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
25	पंचायत स्तर पर जैवविविधता प्रबन्धन समिति/ग्राम स्तरीय समिति के गठन हेतु पहल करना।	विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
26	जैवविविधता प्रबन्धन समिति के साथ गंगा के जलीय जीवों के संरक्षण के संबंध में चर्चा एवं उसमें उनकी भूमिका सुनिश्चित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य ।
27	वन विभाग के साथ निरंतर संपर्क एवं जलीय जीवों के अवैध शिकार पर निगरानी हेतु एक तंत्र तैयार करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
28	गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य ।
29	रसायनिक खादों के प्रयोग से स्वास्थ्य एवं जैव विविधता पर होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूकता।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य ।
30	जैविक कृषि व उन्नत बीजों के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य ।
31	जैविक कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी हेतु कृषि विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य ।
32	उन्नत कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
33	किसानों को जैविक खाद बनाने के तरीकों एवं इनके महत्व के बारे में जानकारी दी जायेगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य ।
34	बंजर खेतों एवं मेंढ़ों पर चारा घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
35	विभागीय सहयोग (पशुपालन विभाग, बाएफ) से	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व

	अच्छी नस्ल के दुधारू पशु, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे के विषय में जानकारी दी जायेगी।	आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
36	ग्राम स्तर पर पशुचिकित्सा विभाग के सहयोग से पशुओं की चिकित्सा शिविर आदि लगाये जायेगें , जिसमे पशुओं का टीकाकरण एवं बीमारियों का उपचार किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
37	सतत् आजीविका के लिए उपयुक्त जाल एवं मत्स्य पालन संबंधी योजनाओं की जानकारी देने के लिये बैठक, कार्यशाला आदि का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।
38	मत्स्य पालन विभाग के साथ समन्वय कर मत्स्य पालन हेतु जानकारी प्रदान करना एवं गांव के प्राकृतिक तालाब, पोखर में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन (Demonstration) तालाब का निर्माण।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय समन्वयन की आवश्यकता होगी।

7.2 वित्तीय आवयश्यकता एवं बजट

ग्राम पंचायत घाट जामनी में की जाने वाली समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आर्थिक सहयोग से किया जायेगा। तकनीकी सहयोग हेतु जिला स्तरीय विभागों के साथ समन्वयन किया जायेगा। जहां तक संभव हो संबंधित विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को समुदाय तक पहुँचाने का प्रयास किया जायेगा जिससे कार्यक्रम क्रियान्वयन में आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सके।

बजट घाट जामनी				
क्रम सं0	**गतिविधि**	**संख्या**	**दर**	**कुल राशि**
1	**सामुदायिक जागरूकता गतिविधियां**			
i	जैवविविधता संरक्षण पर जागरूकता रैली	4	10000	40000
ii	नुक्कड़ नाटक	5	20000	100000
iii	दीवार लेखन	50	500	25000
iv	गंगा की स्वच्छता एवं जैवविविधिता संरक्षण के लिये बैठकों का आयोजन	5	5000	25000
v	घाटों पर सूचना बोर्ड/होर्डिंग लगाना	2	10000	20000
vi	जैव विविधता प्रबन्धन समिति का गठन एवं गंगा के जलीय जीवों के संरक्षण में उनकी भूमिका पर चर्चा के लिये बैठक।	5	5000	25000
vii	स्थानीय समुदाय को विभिन्न आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिये बैठक	5	5000	25000
viii	जैविक एवं अजैविक कूड़े एवं उसके निपटान के बारे में समुदाय को जागरूक के लिये बैठकें	5	5000	25000
ix	किसानों को सिंचाई हेतु सोलर पंप का उपयोग करने हेतु प्रेरित करने के लिये बैठक	5	5000	25000
x	किसानों को जैविक खाद बनाने के तरीकों एवं इनके महत्व पर जानकारी हेतु बैठक	5	5000	25000
xi	उपयुक्त जाल एवं मत्स्य पालन संबंधी योजनाओं की जानकारी देने के लिये बैठक	5	5000	25000
	कुल			**360000**
2	**कार्यशाला एवं प्रशिक्षण**			
i	जैवविविधता संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर समुदाय व विद्यालयों में बच्चों और अध्यापकों के साथ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण।	5	30000	150000
ii	समूह के सदस्यों, गंगा प्रहरी व बाल गंगा प्रहरी को जैव विविधता संबंधी कार्यों में प्रतिभाग करने हेतु प्रशिक्षण	5	20000	100000
iii	आजीविका एवं कौशल विकास प्रशिक्षण	4	200000	800000
iv	प्रशिक्षित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न	2	20000	40000

	योजनाओं (सब्सिडी/लोन) की जानकारी देने हेतु कार्यशाला			
v	किसानों को सिंचाई हेतु सोलर पंप का उपयोग करने हेतु प्रेरित करने के लिये कार्यशाला	1	50000	50000
vi	गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षण	2	50000	100000
vi	जैविक कृषि व उन्नत बीजों के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण	2	50000	100000
vi	उन्नत कृषि, कृषि वानिकी, पशुपालन एवं खेतों में चारा घास रोपण हेतु जागरूकता एवं प्रशिक्षण (कृषि विभाग के सहयोग से)	1	50000	50000
vii	बंजर खेतों एवं मेंढ़ों पर चारा घास रोपण हेतु कृषि विभाग के सहयोग से प्रशिक्षण	1	50000	50000
	कुल			**1440000**
3	**प्रदर्शन एवं निर्माण**			
I	प्रदर्शन (Demonstration) वर्मी कम्पोस्ट पिट का निर्माण	2	20000	40000
Ii	उन्नत कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण का प्रर्दशन (Demonstration)	1	50000	50000
Iii	पशु चिकित्सा शिविर	4	10000	40000
Iv	सक्रिय समूह को आजीविका संबंधी गतिविधियां शुरू करने हेतु रिवॉल्विंग फंड			50000
vi	गाँव एवं घाटों पर स्वच्छता संबन्धित व्यवस्थाओं को स्थापित करना (कूड़ादान लगाना)	10	8000	80000
V	गंगा किनारे वृक्षारोपण			20000
vi	मत्स्य पालन हेतु प्रदर्शन पोखर/तालाब निर्माण	1		250000
	कुल			**530000**
4	**मानवशक्ति एवं यात्राव्यय**			
I	फील्ड असिस्टेंट (दो वर्ष)	1	10000	240000
Ii	यात्रा व्यय			100000
				340000
			कुल (1+2+3+4)	**2670000**

7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

उपरोक्त कार्ययोजना का समय समय पर अनुश्रवण कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम के अनुश्रवण से हमें कार्यक्रम क्रियान्वयन की प्रगति व उसमें आने वाली बाधाओं की जानकारी प्राप्त होगी एवं मूल्यांकन कर कार्ययोजना के अनुरूप क्रियान्वयन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है। ग्राम पंचायत में चयनित गंगा प्रहरियों के माध्यम से कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर रखे जाने वाले रिकार्ड्स भी कार्यक्रम के अनुश्रवण में सहायक होंगें।

7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व

कार्यक्रम क्रियान्वयन में समुदाय एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन0एम0सी0जी) एवं भारतीय वन्य जीव संस्थान की टीम के उत्तरदायित्व निम्नवत होंगे –

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन0एम0सी0जी) एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान टीम

- जागरूकता गतिविधियों, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण हेतु बजट की व्यवस्था करना।
- गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- जलीय जीवों के बचाव व पुनर्वास हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करना।
- आजीविका एवं कौशल संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से समन्वयन स्थापित करना।

समुदाय

- विभिन्न गतिविधियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों में भागीदारी करना।
- सहमत गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु स्थान प्रदान करना।
- संकटग्रस्त जलीय जीवों की जानकारी संबंधित विभाग/कार्यकर्ताओं को देना।
- आजीविका एवं कौशल संबंधी प्रशिक्षणों में सक्रिय भागीदारी करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों को सहयोग करना।
- समय समय पर स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का क्रियान्वयन।
- जागरूकता संबंधी गतिविधियों का आयोजन।

7.5 विवाद का निपटारा

ग्राम पंचायत में आने वाले विवाद का निपटारा पंचायत स्तर पर आपसी सहमति से किया जायेगा।

7.6 अभिलेखों का रखरखाव

अभिलेखों के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत या उनके द्वारा चयनित प्रतिनिधि की होगी जिसके लिये ग्राम स्तर पर चयनित गंगा प्रहरियों का सहयोग लिया जा सकता है।

- गंगा की स्वच्छता एवं वृक्षारोपण सम्बन्धी गतिविधियों हेतु रजिस्टर
- विभिन्न गतिविधियों के फोटोग्राफ
- क्रियान्वित गतिविधियों की रिपोर्ट
- प्रशिक्षण में शामिल प्रशिक्षणार्थियों का विवरण
- गंगा प्रहरी द्वारा की जा रही गतिविधियों का विवरण

7.7 सफलता के सूचक

1. गंगा नदी एवं उसके बेसिन में जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा प्रहरियों का एक संवर्ग (cadre) तैयार हो चुका है तथा स्थानीय समुदायों एवं अन्य हितधारकों को संवेदीकृत एवं प्रशिक्षित किया जा चुका है।
2. कार्यक्रम के हितधारकों, उनकी आवश्यकताओं और गंगा के संरक्षण हेतु उनकी भूमिका सुनिश्चित कर ली गई है।
3. ग्राम पंचायत में एक मंच तैयार किया जा चुका है जहाँ पर विभिन्न हितधारक गंगा एवं उसकी जलीय जैवविविधता के संरक्षण से संबंधित चर्चा एवं क्रियाकलाप कर सकते हैं।
4. गंगा नदी पर आश्रित समुदाय हेतु कौशल व क्षमता विकास प्रशिक्षण किये जा चुके हैं।
5. समुदाय जैविक कृषि कार्यक्रमों को अपनाने हेतु पहल कर रहा है।
6. ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता की स्थिति में सुधार हुआ है।
7. समुदाय गंगा जैवविविधता संबंधी गतिविधियों के प्रति जागरूक है एवं इसके लिये स्वंय गतिविधियों का आयोजन कर रहा है।
8. आजीविका के अवसरों में वृद्धि।
9. गंगा प्रहरियों के द्वारा लगातार समुदाय को गंगा के जलीय जीवों के महत्व तथा संरक्षण के बारे में जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है।

समझौता ज्ञापन

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

Panchayati Raj

नमामि गंगे

जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान का प्रयास

समझौता ज्ञापन

जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने सभी भागीदारों को एक साथ लाकर गंगा नदी की जैव विविधता के मूल्य को बहाल करने के लिए एक दृष्टिकोण विकसित किया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा लागू की जाने वाली परियोजना " जैव विविधता और गंगा संरक्षण " इस संरक्षण की नीति का एक अभिन्न हिस्सा है। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय समुदायों के सहयोग से,गंगा नदी की जलीय प्रजातियो के लिए बहाली योजना विकसित करना है, जिसके लिए शामिल दलों द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जा रहा है।

समझौता ज्ञापन के पक्षधारी

इस समझौता ज्ञापन पर ग्राम पंचायत (........घाट जमनी........) और भारतीय वन्यजीव संस्थान के बीच 28/06/19 दिन पर हस्ताक्षर किए गए है।

समझौता ज्ञापन के विषय

यह दस्तावेज गंगा नदी की जलीय प्रजातियों की बहाली के लिए शामिल दलों द्वारा परस्पर सहयोग के लिए प्रतिबद्धता तथा निम्न उद्देश्यों को सामूहिक रुप से प्राप्त करने की दिशा में प्रयास को दर्शाता है:

1– स्थानीय समुदायों के बीच,गंगा नदी के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए,गंगा प्रहरी का सृजन।

2– घायल एवं बीमार जलीय जीव–जंतुओं के बचाव तथा पुर्नवास के लिए सक्रिय भागीदारी,विशेष रुप से स्थानीय समुदायों द्वारा।

3– नदी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दीर्घकालिक उपयोग।

4– सम्मिलित पंचायत के सभी सदस्यों के लिए स्थान –विशेष दीर्घकालिक आजीविका नीतियों की पहचान और विकास का प्रयास।

सभी दल इस समझौते ज्ञापन का सम्मान करने के लिए सहमति प्रदान करते है।

समझौते के लिए पक्षधारियों के हस्ताक्षर

भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से हस्ताक्षर

हस्ताक्षर –
नाम – डा. रुचि बडोला
शीर्षक– परियोजना समन्वयक, भारतीय वन्यजीव संस्थान
दिनांक –

पंचायत की ओर से हस्ताक्षर

मुखिया
ग्राम पंचायत-घाटजमनी

हस्ताक्षर –
नाम – [illegible]
शीर्षक – मुखिया, घाटजमनी
दिनांक – 28/6/19

सामाजिक मानचित्र ग्राम पंचायत घाट जामनी

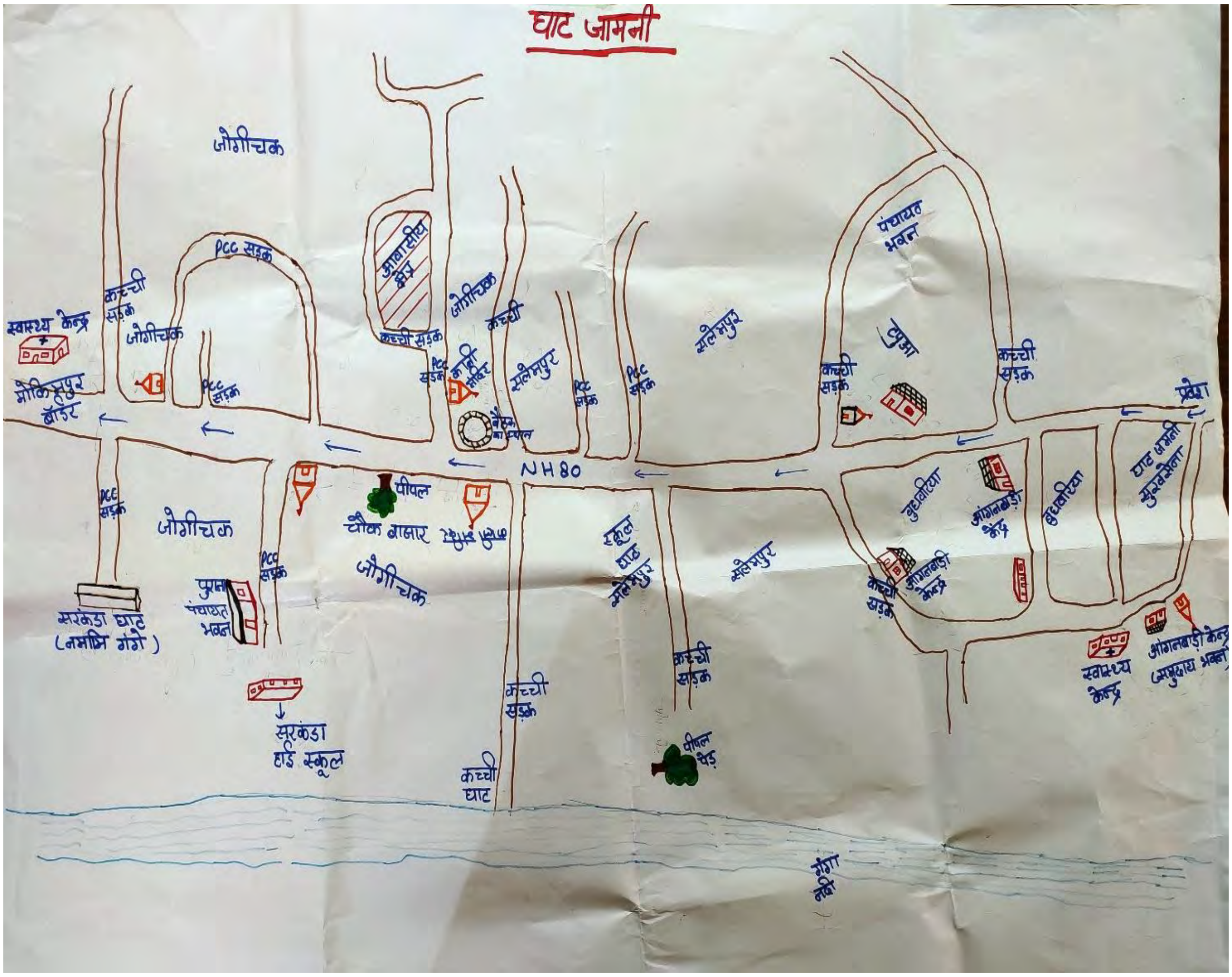

सूक्ष्म नियोजन हेतु बैठक में उपस्थित समुदाय की सूची

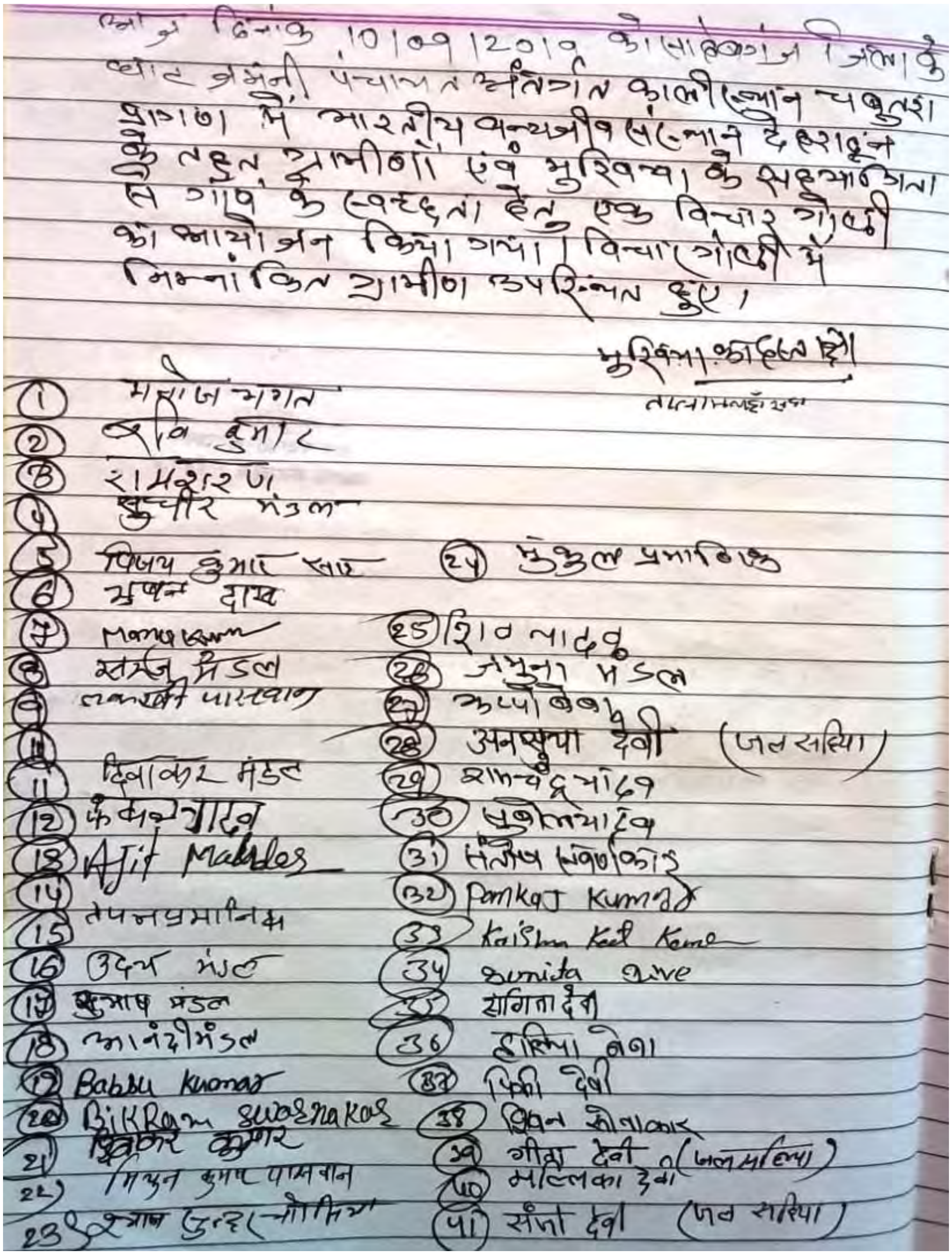

आज दिनांक 10/09/2019 को साहेबगंज जिला के [illegible] पंचायत अंतर्गत कालीस्थान चबुतरा प्रांगण में भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के तहत ग्रामीणों एवं मुखिया के सहभागिता से गाँव के स्वच्छता हेतु एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में निम्नांकित ग्रामीण उपस्थित हुए।

मुखिया [illegible]

1. मनोज भगत
2. रवि कुमार
3. रामशरण
4. सुधीर मंडल
5. विजय कुमार साह
6. सुमन दास
7. [illegible]
8. सरोज मंडल
9. लक्ष्मी पासवान
10. [illegible]
11. दिवाकर मंडल
12. [illegible] यादव
13. Ajit Mahaldes
14. [illegible]
15. तपन प्रमानिक
16. उदय मंडल
17. सुभाष मंडल
18. आनंदी मंडल
19. Babbu Kumar
20. BikRam Swarnakar
21. [illegible] कुमार
22. मिठुन कुमार पासवान
23. [illegible] चौरसिया
24. मुकुल प्रमानिक
25. शिव यादव
26. जमुना मंडल
27. [illegible] देवी
28. अनसुया देवी (जल सहिया)
29. [illegible]
30. [illegible] देवी
31. संतोष [illegible]
32. Pankaj Kumar
33. Krishna [illegible]
34. Sunita Devi
35. संगीता देवी
36. [illegible] देवी
37. [illegible] देवी
38. [illegible] सोनाकार
39. गीता देवी (जल सहिया)
40. मल्लिका देवी
41. संजा देवी (जल सहिया)

(42) प्रतिमा देवी (A.P.S)

(43) मुन्नी देवी

(44) मनोज मंडल

(45)

(46)

BIODIVERSITY AN
GANGA CONSERVA
Ganga Prahari Programm

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

NMCG

National Mission for Clean Ganga, Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation

GACMC

Ganga Aqualife Conservation Monitoring Centre

Wildlife Institute of India

Post Box #18, Chandrabani Dehradun - 248001
Uttarakhand, India t.: +91135 2640114-15,
+91135 2646100
f.: +91135 2640117

www.wii.gov.in/national_mission_for_clean _ganga